

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेडकर भवन, बी-3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक :- एफ 15 () / म.क. / सान्याअवि / 14 3721

जयपुर दिनांक:- 22/01/2015

अधिसूचना

विभाग द्वारा प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 15 (1) (5) सकवि/97/48891-990 दिनांक 16.09.97 में आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों (जिनमें कोई कमाने वाला वयस्क नहीं है) की विधवाओं की पुत्रियों के विवाह के लिए अनुदान राशि स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी पात्रता नियमों में निम्न प्रकार संशोधन किये जाते हैं:-

क्र.सं	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
1.	विधवाओं की पुत्रियों के विवाह पर अनुदान योजना में प्रक्रिया नियम 5 (2) में विधवा पेंशन पी.पी.ओ की फोटो प्रमाणीकरण माना जाएगा।	विधवाओं की पुत्रियों के विवाह योजना में आवेदन पत्रों के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रमाण पत्रों की प्रतियां आवेदक द्वारा स्वप्रमाणित एवं स्वघोषित होगी।

अनुदान सहायता हेतु आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया अधिसूचना दिनांक 16.09.1997 व इस संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप होगी।


यह अधिसूचना तुरन्त प्रभाव से लागू होगी।

उक्त अधिसूचना प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-1) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र एफ 15 (1) ए. आर/जी.आर-1/2014 दिनांक 24.11.2014 के द्वारा जारी आदेश के क्रम में जारी जाती है।

22.1.15
(अम्बरीष कुमार)
निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. उप सचिव (जे) मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, राजस्थान, जयपुर
2. विशिष्ट सहायक, माननीय वित्त मंत्री, राजस्थान, जयपुर
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारित विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला अधिकारिता एवं कल्याण, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार (गुप-1) विभाग राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, विशेषाधिकारी, वित्त (व्यय-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निजी सचिव निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
10. जिला कलेक्टर.....
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्.....
12. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय.....
13. समस्त अधिकारी मुख्यावास.....
- ✓ 14. एनालिस्ट-कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को वेबसाइट अपडेट करने बाबत्।
15. सहायक निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क, मुख्यावास को वास्ते उचित प्रचार-प्रसार
16. उप निदेशक / सहायक निदेशक / जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
17. रक्षित पत्रावली।


(डालचन्द वर्मा)
अति. निदेशक(सा.सु)